

**प्रपत्र-VII**  
झारखण्ड सरकार  
स्महरणालय, पूर्वी सिंहभूम  
(भू-अर्जन शाखा)  
या समुचित सरकार  
**प्रारंभिक अधिसूचना**  
(अधिनियम-30/2013 धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या .....230.....

दिनांक 02 / 05 / 2016.

चँकि समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतित है कि ग्राम- कोपे, थाना-घाटशिला, थाना संख्या- 1512, अंचल- पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना कालिकापुर वितरणी के निर्माण के लिए भूमि अपेक्षित है। प्रभावित परिवारां के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्र"ासक के रुप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कोपे, थाना- घाटशिला, थाना संख्या- 1512 अंचल- पोटका, के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए भूमि का एक टुकडा अपेक्षित है, जो मानक माप से कर्माबे"ा 07.91 एकड़ यानि 03.202 हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड , जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है:-

क्र0	खाता संख्या	सर्वे प्लाट संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	01	45	कायमी	दोन II	0.04	वृहस्पति सरदार पिता -राजमोहन सरदार	सीमा चाकडे	44	45	44
2	28	44	कायमी	दोन II	1.68	ऑफिसर सरदार पिता -राजमोहन सरदार	सीमा चाकडे	44	45	44
3	28	205	कायमी	पु0परती	0.02	ऑफिसर सरदार पिता -राजमोहन सरदार	सीमा चाकडे	44	44	42
4	28	206	कायमी	दोन I	0.11	लखीन सरदार पिता-ि"ाव सरदार	सीमा चाकडे	40	44	40
5	57	236	कायमी	दोन I	0.04	गुना मांझी, पिता- कारु मांझी,	47	39	47	40
6	59	243	कायमी	दोन I	0.06	गुना मांझी, पिता- कारु मांझी,	42	39	41	40
7	59	242	कायमी	दोन III	0.08	1.गुना मांझी, पिता- कारु मांझी, 2.ि"ाकमीदार	39	547	47	48
8	28	561	कायमी	दोन III	0.08	गानापति सरदार पिता-मनमोहन सरदार	47	562	562	547
9	28	562	कायमी	दोन II	1.47	गानापति सरदार,वो वृहस्पति सरदार पिता-मनमोहन सरदार वो मंजे"ा सरदार पिता-जवाहर सरदार वो लखीन सरदार पिता-ि"ाबो सरदार ऑफिसर सरदार, पिता -राजमोहन सरदार	561	562	563	547
10	110	563	कायमी	दोन III	0.38	गानदेय सरदार पिता -पोटे सरदार	563	558	563	562
11	110	564	कायमी	दोन II	0.10	जय सरदार,वो सुन्दरलाल सरदार, पिता-वि"वनाथ सरदार वो रामचन्द्र सरदार, पिता-दसरथ सरदार	563	558	599	563
12	05	599	कायमी	दोन II	0.25	अक्षय सरदार, पिता-डोमन सरदार	599	558	599	558
13	84	558	कायमी	दोन II	1.35	जय सरदार, पिता-वि"वनाथ सरदार				

14	28	557	कायमी	दोन II	0.36	गोनापति सरदार पिता-मनमोहन सरदार	558	557	605	557
15	105	605	कायमी	दोन III	1.44	विद्यासागर सरदार,पिता-डुगु सरदार वो सुधीर सरदार, पिता-डेडेम सरदार वो राजीव सरदार, पिता-पोकलो सरदार	605	606	618	557
16	88	606	कायमी	दोन III	0.37	सुन्दरलाल वो जय सरदार, सरदार, पिता-वि"वनाथ सरदार	605	607	618	606
17	88	607	कायमी	दोन III	0.08	सुन्दरलाल वो जय सरदार, सरदार, पिता-वि"वनाथ सरदार	606	607	618	607

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसकइससे संबंध हो। भूमि की योजना/ नक्सा का निरीक्षण वि"ोष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03, स्वर्णरेखा

परियोजना, मानगो, कैम्प- आदित्यपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। संमाहर्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निशपादन हेतु अपेखित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अबभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र

करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु वि"ोष भू-अर्जन पदाधिकारी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत

करत है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना

के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या

ऐसा कोई अर्तरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के

अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की

आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा वि"ोष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो कैम्प-आदित्यपुर

के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0—  
वि०श भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03,  
सुवर्ण रेखा परियोजना, मनगो,  
कैम्प-अदित्यपुर ।

ह0—  
अपर उपायुक्त  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।